PWD2-BUD/BUDD/5/2022-III-2-Public Works Department

I/181467/2024

ई फाईल संख्या-35061

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 11 जनवरी, 2024

विषयः बी०ए०डी०पी० के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के जोशीमठ के अंतर्गत बुरांश में 30 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु के निर्माण कार्य की स्वीकृति के सापेक्ष राज्य योजना (मिसिंग लिंक फण्डिंग) के अन्तर्गत सेतु के निर्माण का अवशेष कार्य (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

1- उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे०का० लो.नि.वि., पौड़ी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विषयगत कार्य के विस्तृत आगणन, जिसकी लागत ₹12.14 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोंपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹11.01 लाख (₹ ग्यारह लाख एक हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

i. प्रश्नगत परियोजना को इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की जा रही है कि परियोजना को उपरोक्तानुसार स्वीकृत लागत में ही समयबद्धता एवं गुणवत्तापूरक पूर्ण किया जाएगा एवं आगणन का किसी भी दशा में पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।

ii. विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ली गई हो की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

iii. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/149101/2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानसुार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

iv. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

v. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेंसी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

vi. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

vii. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

viii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

ix. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

Chief Engineer (Planning)
P.W.D., Dehradun

x. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

xi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

xii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31-03-2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

xiii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-007, लेखाशीर्षक-4054-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य800-अन्य भवन 00-0-17 महत्वपूर्ण स्थापना कार्य-53 वृहद निर्माण के नामें डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-1 के कम्प्यूटर जनित संख्या-I/166577/2023 दिनांक 03 नवम्बर,2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 11-01-2024 12:26:15

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि. पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त, लो.नि.वि., गोपेश्वर।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.,गोपेश्वर ।
10. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

PWD2-BUD/BUDD/5/2023-Public Works Department

3787/2023

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Finance(S013)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या -007

आवंटन आई डी-S23110070005

आवंटन पत्र दिनांक-02-NOV-2023

लेखा शीर्षक

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80-सामान्य

800-अन्य भवन

00-0

17-महत्वपूर्ण स्थापना कार्य

Voted

4	0	5	9	8	0	8	0	0	1	7	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	0	1101000	0	1101000
योग	0	1101000	0	1101000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.11,01,000 (Rupees Eleven Lacs One Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

''नियोजन–।'' उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 55 / 20 याता0'क'नियो0–1 / 2024 दिनांक– 23.01.2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 07 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय ''वैबसाईट'' पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

ned by C Ravi Shankar

03-11-2023 13:45:04

प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

देहरादून